₹ 10/- न्याय शुल्क

जय कुलदेवी
राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्रिका
सेवा समिति, रतलाम
मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

माननीय न्यायालय _____

प्रकरण क्रमांक : /20

_____ प्रार्थी

विरूद्ध

_____प्रतिप्रार्थी

_____ – प्रार्थी/सुपुर्दगीदार

आयु _____ वर्ष लगभग, धंधा _____

निवासी –_____

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451, 457 जा.फौ.
जप्तशुदा सम्पति को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिये जाने बाबत

जप्त शुदा सम्पति : _____

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की ओर से आवेदन पत्र निम्नवत प्रस्तुत है किः–

1. यह कि अभियोगी पक्ष द्वारा प्रार्थी की मालकी व आधिपत्य की जप्त शुदा सम्पति जो प्रकरण में जप्त कर अपनी अभिरक्षा में थाना परिसर में रखी हुई है ।

2. यह कि जप्त शुदा सम्पति प्रार्थी के उपयोग हेतु आवश्यक है और यदि ऐसी स्थिति में जप्त शुदा सम्पति अधिक दिनों तक पुलिस अभिरक्षा में रहती है तो क्षति कारित होने की संभावना है वहीं आर्थिक नूकसान होकर प्रार्थी के व्यवसायिक एवं दैनिक कार्य प्रभावित होगें। इस कारण जप्त शुदा सम्पति को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह आवेदन पत्र पेश है ।

3. यह कि प्रार्थीया इस हेतु माननीय न्यायालय के योग्य सुपुर्दगीनामा निष्पादित कर प्रस्तुत करने को तत्पर है।

4. यह कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार जप्तशुदा सम्पति को सुपुर्दगी में प्राप्त करने के पश्चात इसे किसी भी व्यक्ति को विक्रय अंतरित नही करेगा और न ही इसके मूलभूत स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन करेगा तथा जब भी माननीय न्यायालय में जप्त शुदा सम्पति की आवश्यकता होगी श्रीमान के आदेशानुसार नियत दिनांक व समय पर नियत स्थान पर अपने स्वय के व्यय से अविलंब प्रस्तुत करेगा यदि इसमें प्रार्थी द्वारा कोई चुक की गई तो म.प्र.शासन प्रार्थी की संपत्ति से राजसात कर सकेगें जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त कारणवश प्रकरण में जप्तशुदा सम्पति को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिये जाने बाबत आदेश प्रदान करने की कृपा करें। यही विनय है।

दिनांक : ..... हस्ताक्षर – प्रार्थी

स्थानः ..... द्वारा अभिभाषक